

सम्पादकीय

विपक्षी दलों के हाथ ओबीसी आबादी का मुद्दा लग गया है

हाल में हुई घटनाओं से यह साफ हो गया है कि 2024 के चुनावों में सामाजिक न्याय का मुद्दा अहम भूमिका निभाने जा रहा है। यह तय है कि विपक्षी पार्टियां अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सामाजिक न्याय देने के मसले पर बोटरों को एकीकृत करने की कोशिश करेंगी। विहार नरकार द्वारा जारी किए गए जातिगत जनगणना के आंकड़े ओबीसी आवादी का एक बड़ा प्रतिशत (63%) बताते हैं, जबकि एक अरसे से उनकी संख्या 55% ही होने का अनुमान लगाया जा रहा था। इससे विपक्षी दलों को प्रोत्साहन मिला है कि वे पूरे देश में जातिगत सर्वे कराने की मांग को पूरा पुरुजोर तरीके से सामने रखें। वे अब ओबीसी लोगों के पास जाकर उनसे कह सकते हैं कि एक लम्बे समय से उन्हें न्याय से वंचित किया जा रहा है। पहले तो ओबीसी को अरसे तक आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। इसे 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद ही दिया गया। लेकिन वह भी ठीक से नहीं किया गया था, क्योंकि ओबीसी लेयर का नया विचार उसमें जोड़ दिया गया था, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) आरक्षण में नहीं होता है। दूसरी बात यह कि जहां एससी-एसटी को देश की कुल आवादी में उनके हिस्से के अनुपात में आरक्षण दिया गया था, वहीं ओबीसी के लिए यह कुल आवादी में उनके हिस्से के आधे से भी कम था। इसी में यह भी जोड़ लें के जब संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का विधेयक पास किया जा रहा था तो सरकार कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की इस मांग को मानने के लिए राजी नहीं हुई थी कि महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33% कोटे के भीतर ही ओबीसी महिलाओं के लिए भी सीटें भारक्षित की जाएं। इसका यह मतलब है कि विपक्षी पार्टियों को नैरेटिव एक पूरा पैकेज हाथ लग गया है और वे उसकी मदद से भाजपा नरकार पर यह आरोप लगा सकती हैं कि वह ओबीसी की हिमायती नहीं है। इस पैकेज में ओबीसी को लम्बे समय तक न्याय से वंचित करना, उन्हें अधूरे मन से सामाजिक न्याय देना और महिलाओं के आरक्षण में उन्हें कोटा नहीं देने का त्रिस्तरीय नैरेटिव है। जदयू और राजद के नेतृत्व में विपक्षी दल इसे भुनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। राजनीति में संदेश देने का बहुत बहुत ही निष्पात तरीके से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने में सफल रहता है। अगर विपक्षी दल देश तक यह संदेश पहुंचा सके कि ओबीसी के साथ वित्तीय रूप से हो रहा अन्याय अब भी जारी है और भाजपा राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना कराने से संकोच कर रही है तो इससे बोटरों के एक समूह को प्रभावित किया जा सकता है। ओबीसी को अरसे तक न्याय से वंचित करना, उन्हें अधूरे मन से सामाजिक न्याय देना और महिलाओं के भारक्षण में उन्हें कोटा नहीं देने का त्रिस्तरीय नैरेटिव अब विपक्षी दलों के हाथ लग गया है, जिसे वे जमकर भुनाने की कोशिश करेंगे। यहां यह भी याद रखा जाना चाहिए कि भाजपा भी यह संदेश देने का भरसक प्रयास कर रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों की तुलना में उसे ओबीसी की ज्यादा परवाह है। यही कारण था कि भाजपा ने तुरंत ही विपक्ष को यह याद दिलाने से अनियंत्रित कर रही है कि जब भी यह संदेश देने की कोशिश करेंगे। यहां यह भी याद रखा जाना चाहिए कि भाजपा भी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसने ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है और सरकार बैलकुल भी उनकी अनदेखी नहीं कर रही है। ओबीसी आवादी के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक रैली में यह काउंटर-नैरेटिव रचा था कि सबसे अधिक संख्या तो गरीबों की है, इसलिए अगर किसी को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए तो वो गरीब लोग हैं। यहां पर यह याद रखा जाना चाहिए कि जब भी कोई पार्टी किसी एक जाति, समुदाय या समूह को विभागिता देती है तो इसकी प्रतिक्रिया में दूसरी जातियों, समुदायों, समूहों का काउंटर-मोविलाइजेशन भी होता है। लोग भी अब पूछ रहे हैं कि क्या यह मंडल 2.0 है? कह सकते हैं कि यह बहुत कुछ वैसा है, पर पूरी तरह नहीं। विहार में भले ही ओबीसी की संख्या अनुमान से अधिक पाई गई गयी हो, लेकिन इससे ओबीसी उस तरह से एकजुट नहीं होंगे, जैसे पहली बार मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने पर हुए थे। वैसे भी ओबीसी समूहों के भीतर भी अब विभाजक-रेखाएं उभर आई हैं और ऊपरी और निचले ओबीसी के भेद निर्मित हो चुके हैं। भाजपा पहले ही इसका फायदा उठा सकी है। क्या आपस में विभक्त ओबीसी भी राजनीतिक समीकरणों को उठानने की क्षमता रखेंगे?

**बुनियादी चीजों पर फोकस नहीं
करने से हादसे होते हैं**

अगर आपके पास क्रांकीट की छत वाला घर है, मेन गेट पर ताला लगा सकते हैं, अगर आपके पास वाहन है जिसमें ईंधन भरवाते हैं, अगर आपके पास नल है जिससे रोज़ पानी आता है, और अगर आपके तमाम गैरेंटेस ठीक काम कर रहे हैं तो आप दुनिया के उन तकरीबन 25-35: भाग्यशाली लोगों में से हैं, जिन्हें तमाम बुनियादी व कारगर सुविधाएं प्राप्त हैं। मैं जब भी विद्यार्थियों को सम्बोधित करता हूँ, तो उनसे यह बातें जरूर कहता हूँ ताकि अपनी कड़ी मेहनत से ये तमाम सुविधाएं मुहैया कराने वाले पैरेंटेस का सम्मान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सकूँ। लेकिन इस साल 1 से 4 अक्टूबर को मैंने इसमें एक और पंक्ति जोड़ने का निर्णय लिया— ‘अगर आप अपनी बड़ी बहन को डिलीवरी के लिए किसी अस्पताल ले जाते हैं और आप बहन और उसके नवजात शिशु के साथ घर लौट आते हैं, तो भी आप सौभाग्यशाली हैं। साथ ही, अगर आप ट्रीटमेंट के दौरान अस्पताल में स्वच्छ टॉयलेट का प्रयोग कर पाए, तब तो आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि तब आप देश के लगभग 15: खुशनसीब लोगों में से एक होंगे!’ जब मैंने यह खबर पढ़ी कि नांदेड़ के सिविल अस्पताल में बीते चार दिनों में 37 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें 18 नवजात शिशु थे और छत्रपति सम्माजीनगर शासकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 24 घंटों में 18 की मौत हो गई तो मुझे जो तकलीफ हुई, उसे बयान नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में हर दिन एक साल से कम उम्र के 40 बच्चों की मौत होती है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। उसी के चलते मैंने अपनी स्पीच में उपरोक्त वाक्य जोड़ा। एक अखबार के पहले पन्ने पर छपा चित्र, जिसमें सुशीला हनुमता नामक एक महिला मात्र दो घंटे पहले जन्मे अपने पोते की अस्पताल में मच्छरों से रक्षा कर रही थी, कम से कम महाराष्ट्र के चरमराते स्वास्थ्य-तंत्र के बारे में तो बहुत कुछ बयान कर जाता है। आप ही बताइए, जब नाती-पोतों का जन्म होता है तो नाते-रिश्तेदार उत्सव मनाते और मिठाइयां बांटते हैं या बच्चे को मच्छरों से बचाने की कोशिशों में जुट जाते हैं? हम किस दुनिया में जी रहे हैं? बढ़ते किकित्सा खर्च के कारण बड़ी तादाद में गरीब सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, जिससे वे खचाखच भर जाते हैं। सरकार जीडीपी का मात्र 1 से 1.25: ही स्वास्थ्य-सम्बन्धी बुनियादी ढांचे पर खर्च करती है। इतना ही नहीं, कम से कम 15: पद खाली पड़े हैं। दवाई से लेकर साफ-सफाई तक कोई सुचारू प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। नांदेड़ अस्पताल का ही उदाहरण लें, जिसमें सफाई विभाग के 250 स्टाफ कर्मचारी कथित रूप से बड़े अधिकारियों के घरों की नौकरियों में लगा दिए गए थे। लेकिन हालात अकेले टॉयलेट्स के चलते बेकाबू नहीं हुए थे। अस्वच्छ माहौल, दूषित पानी, गंदे सुविधाघर, दवाई काउंटरों पर भ्रष्टाचार, पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल के लिए नर्सों का अभाव, मेडिकल आपात-रिथित के लिए डॉक्टरों की किल्लत आदि के चलते उन निर्दोष गरीबों की मौत हुई, जो अस्पताल को मंदिर से बढ़कर और डॉक्टरों को भगवान के समान मानते हैं। इस हादसे से यहीं सीखते हैं कि अगर हम ऐसी जगहों का लीडर बनते हैं तो फोकस उन बुनियादी सुविधाओं पर होना चाहिए, जिनके लिए वह संस्था बनी है। अस्पताल जैसी जगह पर बुनियादी सुविधाएं हीं चिकित्सा व साफ-सफाई (पढ़े, टॉयलेट्स), क्योंकि इसके अभाव में मरीज ठीक होने के बजाय उलटे और बीमार हो सकता है। आप एक दिन के बच्चे से इस स्थिति का सामना करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? फंडा यह है कि हर संस्थान के अपने ग्राहकों और

चुनौतियां और संभावनाएं, एक दृष्टि !



डॉ. तुलसी भारद्वाज
आखिरकार राष्ट्रपति के
अनुमोदन के बाद नारीशक्ति अधिनियम
के कानून बनने के साथ ही देश की
आधी आबादी की एक लंबे अरसे से
चली आ रही राजनैतिक अधिकारों
की लड़ाई का सुखद समापन हो रहा
गया। इसके साथ ही देश के संसदीय रूप
इतिहास में 1996 से चले आ रहे
और कुल मिलाकर 27 साल, 5 प्रा-
गानमंत्री और अनेकों बार पेश होने के
बाद इस ऐतिहासिक निर्णय को मंजुरी
मिल गई जिसमें महिलाओं के लिए
लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में
“छैंज वर्ग के साथ एक-तिहाई सीटें
निर्वाचन क्षेत्रों के पुनःनिर्धारण के बावजूद
से आरक्षित होनी शुरू हो जाएंगी
हालांकि संसद की अग्रिम-परीक्षा में
ऐतिहासिक बहुमत से पारित इस विध-
यक पर लगभग सभी विपक्षी दलों
ने किसी न किसी तरह से
अपने-अपने दावे ठोके। दूसरी तरफ
इस पर अभी न लागू करने, टालने
पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी
आदि-आदि जैसे प्रश्न चिह्न लगाने

इनकी प्रमाणिकता को परखने के लिए संवैधानिक पहलुओं पर नजर डालना अति आवश्यक हो जाता है। हमारे संविधान में आर्टिकल 81, 170, 330 और 332, जिनमें सीटों का आरक्षण वर्णित है, जिसमें स्पष्ट है कि बढ़ती जनसंख्या के आधार पर वक्त-वक्त पर चुनावी प्रक्रिया को पूर्णरूप से लोकतांत्रिक बनाए जाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं को दोबारा निर्धारित करने के लिए परिसीमन कराया जाना अति आवश्यक होगा जोकि वास्तविक जनगणना के आधार पर ही संभव है। कानूनी रूप से जनगणना और परिसीमन के बाद ही व्यवहारिक रूप से निर्वाचन क्षेत्रों को आकार दिया जाता है, परन्तु दुर्भाग्यवश 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान में 42वें संशोधन के तहत 1971 की जनगणना के ही आधार मानकर 2001 तक विधायिकाओं की सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया था फिर 2001 में हुए 84वें संशोधन में इनमें वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान भी कर दिया गया था।

क्रिकेट के बहाने भारत और पाकिस्तान पर रहेगी नजर

‘वॉर माइनस द शूटिंग’— यह अमेरिकी पत्रकार माइक मार्कवीसी द्वारा 1996 के क्रिकेट विश्वकप पर लिखी गई उम्दा किताब का शीर्षक है। 27 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट पहले से भी ज्यादा युद्ध जैसा हो गया है। कम से कम 1996 में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका (जिसने उस साल सबको चौंकाते हुए टूर्नामेंट जीत लिया था) विश्वकप के सह-आयोजक तो थे। आज तो ऐसी स्थिति की कल्पना तक नहीं की जा सकती। इसके बजाय भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच से पहले सीमारेखा के दोनों ही तरफ भुजाओं की जोर-आजमाइश वाली भावना उत्पन्न की जा रही है, जो दिन-ब-दिन गहराती चली जाएगी। उस मैच का अहमदाबाद में होना भी हमारे समय के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह ऐसा शहर है, जिसकी राजनीति पर बीते तीन दशकों से संघ-परिवार का वर्चस्व रहा है, जहां 2002 में हुए साम्प्रदायिक दंगों ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच अलगाव को गहरा दिया था और जहां धार्मिक आधार पर एक ही शहर में विभाजक-रेखाएं खिंची हुई हैं। अनेक हिंदू-राष्ट्रवादियों के लिए तो पाकिस्तान ऐसा दुश्मन-देश है, जिसे हर कीमत पर हराना जरूरी है। ऐसे में, आश्चर्यजनक नहीं कि भाजपा के पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने के बाद से भारत ने पाकिस्तान से खेल-सम्बंधों को कम से कम रखने का सचेत-निर्णय लिया है। उसका मंतव्य स्पष्ट है रु सीमापार आतंकवाद और क्रिकेट, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दिलचर्ष यह है कि 2004 में भाजपा के ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय टीम की पाकिस्तान यात्रा का पथ-प्रशस्त किया था और वह दौरा अत्यंत सफल रहा था। वाजपेयी छह साल सत्ता में रहे। इस दौरान कारगिल की लड़ाई हुई, संसद पर हमला हुआ और कश्मीर में आतंकी वारदातें जारी रहीं। इसके बावजूद वाजपेयी ने इस उम्मीद से भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने का जोखिम उठाया कि शायद खेल के बहाने दोनों देशों के कटुतापूर्ण रिश्तों में नरमी आए।

कार्यालय ग्राम पंचायत इंदरिया, विकास खण्ड सिकरारा, ज़िला जौनपुर

पत्रांक— मेमो / निविदा 2023–24 /

S.L.W.M. कार्य हेतु अल्पकालिक निविदा

वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारतमिशन के अभियान फेज-2 के तहत ग्राम पंचायत में निकलने वाले ठोस एवं पशिश्ट प्रबंधन [S.L.W.M.] हेतु नालीनिर्माण, सोख्तागड़ा निर्माण, घूर-गड़ा निर्माण, आर0सी0सी0 निर्माण, डस्टबिन क्रय, स्वच्छता में बाने वाले उपकरण एवं सफाईकर्मी द्वारा स्वच्छता कार्य हेतु धारण की जाने वाली पोशाक(किट) क्रय, कचरा ढोने हेतु ई-रिक्शा, मालवाहन क्रमणरोगों से बचाव हेतु छिड़काव की दवा क्रय आदि स्वच्छता सम्बन्धित गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली विविध सामग्रियों के क्रय हेतु V.M. में आवंटित धनराशि, राज्य वित्त / केन्द्रीय वित्त के इस प्रयोजनमें खर्च की जानेवाली धनराशि हेतु ग्राम पंचायत विकास खण्ड जनपद पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति हेतु सील बन्दनिविदा दिनांक 09.10.2023 से दिनांक 16.10.2023 तक कार्यालय यत में जमा की जा सकती है, जो दिनांक 17.10.2023 को ग्राम प्रबंधन समिति के सदस्यों के समक्ष 10.00 बजे प्रातः खोली जाएगी, निम्नदर गोदा स्वीकार की जाएगी। आपूर्तिकर्ताओं का व्यापार पंजीकरण, टिन नम्बर एवं जी0एस0टी0 नम्बर होना अनिवार्य है।

क्र०सं०	परियोजना का नाम/ सामग्री	मात्रा	दर
1	ईट150एम.एम.प्रथम श्रेणी / एस.ओ.बी. ईट	प्रतिहजार	
2	सीमेण्ट	प्रतिवैग	
3	मोरंगबालू महीनबालू गंगाबालू	प्रति घनमीटर	
4	स्टोनब्लास्ट, डालागिट्‌टी, पत्थरगिट्‌टी20 एम.एम.से 53एम.एम. तक, ईटगिट्‌टी 20 एम.एम. से 42 एम.एम.तक	प्रति घनमीटर	
5	सरियाविभिन्नसाइज	प्रतिकुन्तल	
6	करकट/ एसबेस्टससीट, पैनलआयरन, सबमर्सेबुल, बोरिंगप्लेटफार्मसहित	प्रतिनग	
7	पैकर्स/ ब्लाकईट/ इंटरलॉकिंगईट/ जागजेडाइंटरलॉकिंगईट	प्रतिहजार	
8	ई-रिक्षामालवाहक	प्रतिनग	
9	डस्टविनविभिन्नसाइजमें	प्रतिनग	
10	हयूमपाईप 150 एम.एम., 300 एम.एम., 350एम.एम., 600 एम.एम., 800एम.एम.,NP3	प्रतिमीटर	
11	ढककनदारनाली, निर्माणमेंप्रयुक्तहोनेवालीसामग्रीआवश्यकतानुसार		
12	गिट्‌टी की भराई, समतलीकरण का कार्य	प्रति घनमीटर	
13	सफाईकर्मीस्वच्छताकीट/ सेनेटाइजर, डस्टविनसहितअन्य संत्रिक्षितसामग्री	प्रतिनग	

मिला मात्र अर्द्धे

- नियम ऐव नात:-**

 - सामग्री की मात्रा कार्यस्वीकृति होने के बाद निर्धारित की जाएगी।
 - आवश्यकतानुसार सामग्री आपूर्ति प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के आदेश से की जाएगी, अन्यथा नहीं।
 - सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
 - सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि से स्वीकृति दर निर्धारित कार्य पर करनी होगी।
 - सामग्री आपूर्तिकर्ता द्वारा 50रु0 के स्टाम्प पेपर पर बाण्ड भरना अनिवार्य होगा तदोपरान्त आपूर्ति किया जाएगा।
 - सामग्री आपूर्ति के बाद निर्माणसमिति की स्वीकृति के बाद भुगतान किया जाएगा।
 - आपूर्तिकर्ता का सेल टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तथा आयकरदाता हो, प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न की जाय।
 - प्रस्तुतदर पी0डब्ल्यूडी0 की स्वीकृतिदर से अधिक न हो।
 - सामग्री आपूर्ति ग्रामपंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय में की जानी अनिवार्य होगी।
 - सामग्री की गुणवत्तामानक के अनुरूप न पायेजाने की दशा में भुगतान की धनराशि में नियमानुसार कटौती कर ली जाएगी।
 - निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

अयोध्या में एक विदेशी सहित दो श्रद्धालुओं की मौत डाक अधीक्षक के सख्त रुख अपनाने पर कर्मचारियों के छुटे पसीने

एक मृतक मलेशिया का तो दूसरा छत्तीसगढ़ प्रांत का

अयोध्या राजनारी घूमने आए एक बुद्ध विदेशी सहित दो श्रद्धालुओं की अलग—अलग होटलों में मृत्यु हो गई। इसमें विदेशी की मौत का कारण पुलिस प्रथम दृष्ट्या दिल का दीरा होना बता रही है वही दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का कारण चिकित्सक दिल का दोरा बता रहे हैं। बताते चले कि मृत 78 वर्षीय विदेशी श्रद्धालु का नाम राजा आरपी सुनमुगम था, जो मलेशिया के निवासी बताएं जा रहे थे और विवाह की दूर शाम बार्दपास रिथ रामायण होटल के कमरा नंबर 3105 में वे मृत पाए

गए। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अयोध्या कोतवाल अयोध्या मनोज शर्मा ने बताया कि मलेशिया से छह लोगों का दल अयोध्या आया था। इस दल में चार मलेशिया की भौत होने की आशंका व्यक्त किया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अयोध्या मनोज शर्मा ने बताया कि मलेशिया के दूतावास को सूचित करने के बाद शब्द के पास्टमार्ट म की प्रक्रिया की गई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में विदेशी नागरिक का पोस्टमार्ट म किया जाएगा रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का सूचना दी गई। एसपी स्टीडी मधुबन कुमार सिंह के नेतृत्व में अयोध्या दर्शन पूजन



डॉ. दीनेश कुमार सक्सेना।

डाक विभाग की आए दिन आने वाली शिकायत आने पर डाक अधीक्षक

आरके श्रीवास्तव ने कड़ा रुख किया जा रहे हैं तथा उप घरों में अपनाने हुए कहा है कि मंडल के सभी उप डाकघर तथा शाखा डाकघरों का औचक निरीक्षण की भौत होने की आशंका व्यक्त किया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अयोध्या मनोज शर्मा ने बताया कि मलेशिया के दूतावास को सूचित करने के बाद शब्द के पास्टमार्ट म की प्रक्रिया की गई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में विदेशी नागरिक का पोस्टमार्ट म किया जाएगा रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का सूचना दी गई। एसपी स्टीडी मधुबन कुमार सिंह के नेतृत्व में अयोध्या दर्शन पूजन

को कार्य शुरू करें और समय पर समाप्त करें उन्होंने कहा कुछ डाक कम्बारी समझने के बाजूद भी अपनी मनमानी कर रहे हैं वह अब सुधार जाएं अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहे श्री श्रीवास्तव ने आधार और आईपीपीयों का कार्य नियम अनुसार करने की चेतावनी दी है उन्होंने कहा कि जायज धनराशे से ही खाता खोला जाए किसी को बैवज्ञ परेशान ना किया आधार अपडेट करने वालों से निर्धारित फीस ली जा किसी भी प्रकार की शिकायत पर अपडेट करने वालों को बक्सा नहीं रखा जाएगा उन्होंने डाक वितरण में लगे कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि यदि डाक वितरण के दौरान लेनदेन करने की शिकायत मिली तो वह कार्यवाई के लिए तैयार रहे।

2023 का विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस नूर मजिल मनोज चिकित्सा केंद्र पर मनाया गया



मृत्युज्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट लेखन - 10 अक्टूबर 2023 को, नूर मजिल मनोज मेडिकल सेंटर ने मानसिक स्वास्थ्य के विभाग के साथ मिलकर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया, जिसका थीम था भानसिक स्वास्थ्य एक

वैशिक और सार्वभौमिक मानवीय अधिकार है। यह कार्यक्रम डॉ. अंजलि गुप्ता और डॉवर नायडू के सुपरविजन में आयोजित किया गया था और उसका उद्देश्य मानसिक वीमारियों के सदर्भ में मानवीय अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

दिन भर में, विभिन्न सत्र और चर्चाओं का आयोजन किया गया, जो मानवीय अधिकारों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में विशित करने और जुड़ने का कार्य करता है। यह एक याद दिलाता है कि मानसिक संचालित हुआ और वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने और मानसिक वीमारियों की जानकारी बढ़ाने पर मिला।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने यह एक वैशिक मानवीय अधिकार भी है।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने यह एक वैशिक मानवीय अधिकार भी है।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने यह एक वैशिक मानवीय अधिकार भी है।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने यह एक वैशिक मानवीय अधिकार भी है।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने यह एक वैशिक मानवीय अधिकार भी है।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने यह एक वैशिक मानवीय अधिकार भी है।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने यह एक वैशिक मानवीय अधिकार भी है।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने यह एक वैशिक मानवीय अधिकार भी है।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने यह एक वैशिक मानवीय अधिकार भी है।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने यह एक वैशिक मानवीय अधिकार भी है।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने यह एक वैशिक मानवीय अधिकार भी है।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने यह एक वैशिक मानवीय अधिकार भी है।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने यह एक वैशिक मानवीय अधिकार भी है।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिगत मामलों में उन्होंने यह एक वैशिक मानवीय अधिकार भी है।

उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले डॉवर नायडू ने बताया कि, यह कार्यक्रम उपरांत वैशिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषज्ञीय को निर्माण करता है। जिसमें विशेषज्ञीय को निर्माण करने के लिए उनके मानसिक स्वास